



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1415 / SEIAA/2022

Date: 24/8/22

प्रति,

मेसर्स पेसीफिक मिनरल्स प्रा.लि.,

श्री वेदानंद राय,

बैहर रोड़, बालाघाट


जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9271/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पेसीफिक मिनरल्स प्रा.लि. श्री वेदानंद राय बैहर रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीस खदान, उत्पादन क्षमता (अंडर ग्राउंड), उत्पादन क्षमता मेगनीस 10559.8, सब-ग्रेड 586.655 व मिनरल रिजेक्ट 586.655 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, कम्पॉटमेंट नं. पी.ओ. 127, ग्राम लौघर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 741 वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 अनुशंसा उपरांत निम्नानुसार अभिलिखित किया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 से खदान बंद है तथा खनन कार्य 1988 से होने के कारण यह प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के उल्लंघन का तो नहीं है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से नोटराईज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, प्रस्तावित खदान वर्ष 2017 से बंद है तथा खनन कार्य 1988 से होने के कारण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का उल्लंघन किया गया है कि नहीं एवं किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी